न्यायाधिकारी–ग्राम न्यायालय, नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

पीठासीन अधिकारी	–	सतीश फानिन (आर.जे.एस.)
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या	–	214/2022
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या	–	212/2022
सी०एन०आर० नंबर	–	RJJH140005562022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	304/2022, पुलिस थाना नवलगढ़

राजस्थान राज्य बनाम पवन वगैराह

अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादिया	श्रीमति मंजू देवी
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री विकास शर्मा
अभियुक्तगण का नाम व पता	01. पवन पुत्र श्री हरलाल, उम्र 29 वर्ष, 02. जयराम पुत्र श्री हरलाल, उम्र 34 वर्ष, 03. तेजपाल पुत्र श्री हरलाल, उम्र 35 वर्ष, समस्त निवासीगण झरड़ावाली ढाणी तन बिरोल, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुंझुनूं, राजस्थान।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री तेजपाल सिंह दूत
अधिवक्ता परिवादी	----------

B

अपराध की दिनांक	27.06.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	28.06.2022
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	12.09.2022

आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	12.09.2022
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	02.11.2022
निर्णय दिनांक	22.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	-------

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त पर आरोप का विवरण	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	दिये गये दण्ड का विवरण	धारा 428 दं.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य हेतु अवधि
1.	पवन	–	–	341, 323, 504/34 भा.द.स.	दोषमुक्त	–	–
2.	जयराम	–	–	341, 323, 504/34 भा.द.स.	दोषमुक्त	–	–
3.	तेजपाल	–	–	341, 323, 504/34 भा.द.स.	दोषमुक्त	–	–

भाग–द्वितीय

अभियोजन साक्षियों की सूची

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.डब्ल्यू 1	विजेंद्र कुमार	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू 2	मंजू देवी	परिवादिया
पी.डब्ल्यू 3	मनीष	आहत/चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 4	कपिल	आहत/चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 5	नितेश	आहत/चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 6	प्रियंका देवी	आहत/चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 7	चिरंजीलाल	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 8	कुलदीप	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 9	डॉ. प्रमोद कुमार	चिकित्सीय गवाह

पी.डब्ल्यू 10	प्रहलाद सिंह	अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श पी.01	तहरीर रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी.02	चाक एफ.आई.आर.
3.	प्रदर्श पी.03	नक्शा मौका घटनास्थल
4.	प्रदर्श पी.04	अरूण को साक्षी के रूप में पेश नहीं करने बाबत प्रार्थना–पत्र
5.	प्रदर्श पी.05	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी चिरंजीलाल
6.	प्रदर्श पी.06	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र मंजू देवी
7.	प्रदर्श पी.07	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र कपिल सैनी

प्रतिरक्षा

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
1.	प्रदर्श डी.01	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी विजेंद्र कुमार
2.	प्रदर्श डी.02	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी मंजू देवी
3.	प्रदर्श डी.03	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी कपिल कुमार
4.	प्रदर्श डी.04	बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी कुलदीप

न्यायालय प्रदर्श

प्रदर्श का क्रम	प्रदर्श संख्या	प्रदर्श का विवरण
निल		

:: निर्णय :: **दिनांक: 22.07.2026**

1. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 28.06.2022 को परिवादिया मंजू देवी ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थीया अपने परिवार सहित अपने घर में निवास करती है। प्रार्थीया के पड़ौसी हरलाल है जो उसके पति व बच्चों को पिछले दो–तीन दिन से गाली–गलौच कर रहे थे तो प्रार्थीया द्वारा पीएस नवलगढ़ को प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अवगत करवाया गया था। कल रात्रि 08 बजे के लगभग प्रार्थीया का पड़ोसी हरलाल, उसका पुत्र विनोद, पत्नी मंजू, उषा, मनीषा, पूनम व पवन की पत्नी एकराय होकर हाथ में लकड़ी व गंडासी लेकर आये और पत्थर फेंकने लगे तथा उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया। प्रार्थीया के घर पर लगे कैमरों को तोड़ दिया और उसके घर में घुस गये तथा प्रार्थीया व उसके पुत्र अरूण, कपिल, मनीष, नितेश थे तथा प्रार्थीया की बहन प्रियंका देवी थी जिनके साथ उक्त व्यक्तियों ने मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे प्रार्थीया व उसके बच्चों के

चोटें आयी। उसके घर का दरवाजा, खिड़कियों के सीसे, शौचालय पाईप, पानी की पाईप व कैमरे तोड़ दिए। इस प्रकार उसे पचास हजार रूपये का नुकसान हुआ है। वे डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल सके। अभियुक्तगण से बचकर प्रार्थीया अब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए उपस्थित हुई है, इत्यादि......।"

2. उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 304/2022 अन्तर्गत अंतर्गत धारा 323, 341, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.09.2022 को पेश किया गया, जिस पर उक्त धाराओं में दिनांक 12.09.2022 को प्रसंज्ञान लिया गया।

3. अभियुक्तगण को धारा 323, 341, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सारांश दिनांक 12.09.2022 को मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या–02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान करवाये गये व पृष्ठ संख्या–02 व 03 पर भाग 'अ' में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाने का कथन किये है एवं प्रतिरक्षा में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर बंद किया गया।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित हाने के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर सजायाब किये जाने का निवेदन किया।

7. वहीं, दूसरी ओर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया है कि प्रकरण में गवाहान के बयान विरोधाभासी है। परिवादी एवं चक्षुदर्शी साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

09. उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय हैः–

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 27.06.2022 को समय रात्रि 08.00 पीएम पर झरडावाली ढाणी तन बिरोल पर परिवादिया मंजू देवी व आहत कपिल को शारीरिक पीड़ा कारित करने के आशय या ज्ञान से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं लोक शांति भंग करने एवं प्रकोपित करने के आशय से गालियां निकालकर साशय अपमानित किया ?

(2) यदि हाँ, तो अभियुक्तगण किस दण्ड के भागीदार हैं ?

10.1 उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में यदि पत्रावली पर आई साक्ष्य का समग्र विवेचन किया जावे तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रकरण के शिकायतकर्ता परिवादिया मंजू देवी को पी. डब्ल्यू 02 के रूप में परीक्षित करवाया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि दिनांक 27.06.2022 को वे अपने घर पर थे। उस समय पवन, जयराम, तेजराम, विनोद, संजय, हरलाल, अणची देवी, मंजू, उषा, मनीषा पवन की पत्नी एकराय होकर हाथों में लकड़ी, गंडासी व लोहे के सरिया लेकर उनके घर पर आये तथा गाली–गलौच करते हुए उन्होंने घर में तोड़फोड़ की। उन्होंने उसके व उसके बेटे कपिल के साथ गाली–गलौच व मारपीट की। उस समय मनीष, व उसकी बहन प्रियंका व उसका लड़का अरूण भी मौके पर थे उन्होंने पूरी घटना को देखा था। तोड़फोड़ से उन्हें पचास हजार रूपये का नुकसान हुआ था। मारपीट से उसके व कपिल के शरीर पर चोटें आयी थी। उसने घटना की रिपोर्ट अगले दिन दर्ज करवायी थी जो कि प्रदर्श पी 01 है जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 उसके सामने बनाया था जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। उसने घटना की रिपोर्ट पीएस नवलगढ़ में पेश की थी जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है। कपिल के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना हुआ था।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि वह पढ़ी–लिखी नहीं है इसलिए वह नहीं बता सकती कि प्रदर्श पी 01 में क्या लिखा है। प्रदर्श पी 01 उसके पति ने तैयार करवायी थी। उन्होंने क्या लिखाया उसे नहीं पता। प्रदर्श पी 01 में ए से बी भाग व सी से डी भाग सही लिखा या गलत लिखा उसे पता नहीं। पुलिस ने उसके हस्ताक्षर करवाए थे उससे कोई पूछताछ नहीं की। प्रदर्श डी 01 में ए से बी व सी से डी भाग उसने पुलिस को नहीं बताया। प्रदर्श पी 03 में पुलिस ने क्या लिखा उसे पता नहीं। उसके मगरों व छाती पर चोट आयी थी। उसके लड़के के कौनसे पैर पर लगी थी उसे नहीं पता। गंडासी व लकड़ी किसके हाथ में थी उसे नहीं पता। लकड़ी पवन के हाथ में थी। उसके लकड़ी की पवन व हरलाल ने मारी थी। सरिया हरलाल के हाथ में था। दिनांक 27.06.2022 को उसका पति घर पर नहीं था। सुबह उसका पति कब आया उसे ध्यान नहीं है। पवन वगैराह ने उनके खिलाफ मुकदमा करवाया था इसलिए उन्होंने भी उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। विवादित भूमि पर हरलाल व संजय ने कब्जा कर रखा है वो उन्हें जमीन पर जाने नहीं देते थे। हरलाल व संजय ने वहां पर पत्थर डाल रखे थे।

10.2 प्रकरण में घटना के चक्षुदर्शी/आहत गवाह पी०डब्ल्यू 04 कपिल ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि उनके पड़ोसी हरलाल व उसके लड़के पवन, तेजपाल, जयराम तीन चार दिन से गाली–गलौच कर रहे थे जिस बाबत उसके माता–पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। उन्होंने अपनी मकान की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा लिये। घटना दिनांक 27.06.2022 को रात को आठ बजे पवन, जयराम, तेजपाल, विनोद, संजय, हरलाल, अणची देवी, मंजू, उषा, मनीषा, पवन की पत्नी व अन्य सदस्य हाथों में लकड़ी व गंडासी लेकर एकराय होकर आये। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे पत्थर

फेंककर तोड़ दिए, मैन गेट तोड़ दिया फिर वे सभी उनके घर के अंदर आ गये। उन्होंने तोडफोड की उसके बाद अरूण, मनीष, मंजू, नितेश व प्रियंका के साथ उक्त सभी ने मारपीट की। जिससे उसके और मंजू के ज्यादा चोटें आयी थी। उसके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल हुआ था। मारपीट थाप–मुक्कों व लकड़ी से की थी। घर की खिड़की तोड़ दी, शौचालय की पाइप तोड़ दी, पानी की पाईप तोड़ दी जिससे उनको पचास हजार रूपये का नुकसान हुआ। रात का समय होने के कारण उन्होंने डर के मारे रिपोर्ट अगले दिन पेश की। उक्त लोगों ने उनके साथ मारपीट जमीन के विवाद को लेकर की थी।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि वह अपने माता–पिता के साथ नवलगढ़ थाने में नहीं गया था। माता–पिता के साथ कौन थाने में गया उसे नहीं पता। उसके माता–पिता ने झगड़े अगले दिन रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। उसके पिता लाला वाली ढाणी उसकी मौसी के गये हुए थे। उसने अपने पिता को झगड़े की सूचना नहीं दी थी। अन्य किसी ने दी हो तो उसे नहीं पता। 27 तारीख को उसके पित घर नहीं आये क्योंकि वे जन्मदिन में गये हुए थे। 28 तारीख को संजय ने उसके, उसके पिता, भाई व माता के खिलाफ तेजपाल के साथ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवायी हो तो उसे नहीं पता। तेजपाल के सिर व हाथों पैरों पर कोई और चोट आयी हो तो उसे नहीं पता। कैमरे किससे लगवाये व किस दिनांक को लगवाये उसे नहीं पता। उनके गेट, कैमरे, पाईप तोड़ने के वीडियो या फोटो उन्होंने कोर्ट में पेश की या नहीं उसका उसे नहीं पता। अभियुक्तगण के अतिरिक्त कोई आसपास के लोग नहीं आये थे। किसी ने भी उनका बीच–बचाव नहीं किया। उसकी माताजी के पैर पर चोट नहीं आयी। उसकी माताजी के पीछे लगी थी कमर में चोट आयी या नहीं उसे नहीं पता। झगड़े में उसने यह ध्यान नहीं दिया कि लकड़ी से चोट आयी या किसी अन्य से। अधिक लोग होने के कारण वह नहीं बता सकता कि किसके किसने मारी थी। उसकी माताजी के खून नहीं आया था। उसकी माताजी का एक्सरे नहीं हुआ था। उसके भी आंख या नाक पर चोट नहीं आयी। उसके बांय पैर पर लकड़ी की चोट आयी थी। अन्य कोई चोट नहीं आयी थी। उसके किसने मारी उसका उसे नहीं पता। यह सही है कि अधिक व्यक्ति होने के कारण यह नहीं पता कि कौन किसके साथ मारपीट कर रहा था। यह कहना गलत है कि जिस जमीन में हरलाल जी ने पत्थर डाल रखे हैं वह जमीन कागजों में हरलाल जी के नाम हो। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। पुलिस ने यदि कोई बयान लिखे हैं तो वे अपने आप ही लिखे हैं। पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 का ए से बी, सी से डी भाग उसने पुलिस को नहीं बताया।

10.3 प्रकरण में घटना के आहत/चक्षुदर्शी गवाह पी०डब्ल्यू 03 मनीष ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि उनके पड़ोसी हरलाल व उसके लड़के पवन, तेजपाल, जयराम तीन चार दिन से गाली–गलौच कर रहे थे जिस बाबत उसके माता–पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। उन्होंने अपनी मकान की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा लिये। घटना दिनांक 27.06.2022 को रात को आठ बजे पवन, जयराम, तेजपाल, विनोद, संजय, हरलाल, अणची देवी, मंजू, उषा, मनीषा, पवन की पत्नी व अन्य सदस्य हाथों में लकड़ी व गंडासी लेकर एकराय होकर आये। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे पत्थर फेंककर तोड़ दिए, मैन गेट तोड़ दिया फिर वे सभी उनके घर के अंदर आ गये। उन्होंने

तोडफोड की उसके बाद अरूण, कपिल, मंजू, नितेश व प्रियंका के साथ उक्त सभी ने मारपीट की। जिससे कपिल और मंजू के ज्यादा चोटें आयी थी। उसके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल हुआ था। मारपीट थाप–मुक्कों व लकड़ी से की थी। घर की खिड़की तोड़ दी, शौचालय की पाइप तोड़ दी, पानी की पाईप तोड़ दी जिससे उनको पचास हजार रूपये का नुकसान हुआ। रात का समय होने के कारण उन्होंने डर के मारे रिपोर्ट अगले दिन पेश की। उक्त लोगों ने उनके साथ मारपीट जमीन के विवाद को लेकर की थी। उसके सामने पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 तैयार किया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि वह पढ़ा लिखा है। रिपोर्ट दर्ज करवाते समय वह अपने माता–पिता के साथ नहीं गया था। रिपोर्ट उसके पिता ने लिखकर दी थी। रिपोर्ट को उसने नहीं पढ़ा। रिपोर्ट घटना के अगले दिन 28.06.2022 को ही दर्ज करवायी थी। झगडे के वक्त उसके पिता मौसी के बेटे के जन्मदिन में गये हुए थे। पुलिस उनके घर 27 तारीख की रात को ही चली गयी थी। उसके पिता दिनांक 27. 06.2022 को ड्यूटी पर गये थे या नहीं, उसे पता नही है। संजय ने 28 तारीख को 12 बजे उसके, उसके पिता, भाई व माता के खिलाफ नवलगढ थाने में केस दर्ज करवाया हो उसे पता नहीं है। यह सही है कि उसके, उसके पिता, भाई व माता के खिलाफ इस कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें वे तारीख पर आते हैं। तेजपाल के साथ मारपीट हुई थी इस कारण उनके खिलाफ इस कोर्ट में केस चल रहा ह। तेजपाल के सिर, हाथ व पैर पर चोट आयी हो तो उसे नहीं पता। कैमरे उन्होंने पिता के जानकार से लगवाये थे, किससे लगवाये, उसका नाम नहीं पता। गेट किससे बनवाया, उस मिस्त्री का नाम उसे नहीं पता। गेट, कैमरा, शौचालय की पाईप, खिडकी के फोटोग्राफ व बिल उन्होंने पुलिस को दिये थे, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं किये। मारपीट के समय मौके पर उनके अलावा और कौन था उसे नहीं पता। राजस्व रिकॉर्ड में जो जमीन पर पत्थर गिरवा रहे हैं वह हरलाल के नाम हो तो उसे नहीं पता। उसकी माता व कपिल के कहां चोट आयी उसे नहीं पता। उसे थाने में लेकर आ गये थे। उसके पुलिस में बयान हुए थे। पुलिस बयान देखकर कहा कि यह बयान उसके लिये थे या नहीं, उसे याद नहीं है। नक्शा उसने देखा था, पढा नहीं था। नक्शे में ए, से एच बिंदु व एक्स स्थान पर क्या दिखाया है, यह वह पत्रावली देखकर ही बता सकता हूं। पुलिस ने उसके कुल कितने जगह हस्ताक्षर करवाये व किस बात के करवाये, उसे पता नहीं है।

10.4 प्रकरण में घटना के आहत/चक्षुदर्शी गवाह पी०डब्ल्यू 05 नितेश ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि उनके पड़ोसी हरलाल व उसके लड़के पवन, तेजपाल, जयराम तीन चार दिन से गाली–गलौच कर रहे थे जिस बाबत उसके माता–पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। उन्होंने अपनी मकान की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा लिये। घटना दिनांक 27.06.2022 को रात को आठ बजे पवन, जयराम, तेजपाल, विनोद, संजय, हरलाल, अणची देवी, मंजू, उषा, मनीषा, पवन की पत्नी व अन्य सदस्य हाथों में लकड़ी व गंडासी लेकर एकराय होकर आये। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे पत्थर फेंककर तोड़ दिए, मैन गेट तोड़ दिया फिर वे सभी उनके घर के अंदर आ गये। उन्होंने तोडफोड की उसके बाद अरूण, कपिल, मंजू, मनीष व प्रियंका व उसके साथ उक्त सभी ने

मारपीट की। जिससे कपिल और मंजू के ज्यादा चोटें आयी थी। मारपीट थाप–मुक्कों व लकड़ी से की थी। घर की खिड़की तोड़ दी, शौचालय की पाइप तोड़ दी, पानी की पाईप तोड़ दी जिससे उनको पचास हजार रूपये का नुकसान हुआ। रात का समय होने के कारण उन्होंने डर के मारे रिपोर्ट अगले दिन पेश की। उक्त लोगों ने उनके साथ मारपीट जमीन के विवाद को लेकर की थी।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि रिपोर्ट दर्ज करवाने वह गया था। उसके अलावा रिपोर्ट दर्ज करवाने उसकी माताजी और भाई गया था। थाने में जो रिपोर्ट दी गयी थी वह उसकी माताजी द्वारा लिखी गयी थी। यह कहना गलत है कि दिनांक 27.06.2022 को शाम सात बजे वे घर पर आ गये हो। यह सही है कि जो घटना वह बता रहा है वह उनके घर के अंदर ही हुई थी। उनके घर के आस पास में ओर भी घर है। उसके पुलिस में बयान हुए थे। उसने अपने बयानों में बताया था कि हरलाल पुत्र अमरचन्द उन्हें दो तीन दिन से गाली गलौच कर रहे हैं उस बाबत उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी। उसे नहीं पता कि कैमरे किस तारीख को लगाये गये थे और किस के द्वारा लगाये गये थे लेकिन गाली गलौच की घटना के बाद ही कैमरे लगा लिये गये थे। यह सही है कि वह जो कैमरे की बात बता रहा है उन कैमरों के बिल पत्रावली में पेश किया है। कितने रूपये का बिल था, उसे पता नहीं। उसे पता नहीं है कि किस किस के हाथ में पत्थर, गंडासी और लकडी थी, लेकिन उक्त अभियुक्तगण के पास सभी हथियार थे। उसे नहीं पता कि मंजू देवी और कपिल के किस हथियार से चोट आई और किसने मारपीट की थी। उसे नहीं पता कि दरवाजा किसने तोडा। उसे ध्यान में नहीं है कि टूटे हुए कैमरे व गेट की फोटों पुलिस में दी हो या नहीं। हरलाल के परिवार के अलावा आस पास के पडोस से ओर कोई नहीं आया था, उनके घर पर। दिनांक 27.06.2022 को उसकी मौसी प्रियंका उनके घर पर आयी थी। प्रियंका व उसके साथ तेजपाल, जयराम, पवन ने मारपीट की थी। यह सही है कि इन तीनों ने उसके व प्रियंका के साथ मारपीट की थी। उसके कोई चोट नहीं आयी थी।

10.5 प्रकरण में घटना के आहता/चक्षुदर्शी गवाह पी०डब्ल्यू 06 प्रियंका ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि उसकी बहन के पड़ोसी हरलाल व उनके परिवार वाले गाली–गलौच कर रहे थे। विजेंद्र जी ने उनके घर में उनकी सुरक्षा के लिए कैमरे लगा लिए। दिनांक 27.06.2022 को शाम आठ बजे वह अपनी बहन मंजू देवी के घर आयी हुई थी तब वह, उसकी बहन, मनीष, नितेश, कपिल घर पर बैठे हुए थे। वहां पर तेजपाल, जयराम, पवन आये और उनके हाथें में लकड़ी, पत्थर और गंडासी थे। उन लोगों ने आकर उनके साथ लकड़ी, गंडासी व थाप मुक्कों से मारपीट की। उन लोगों ने मारपीट करने के अलावा गेट, बाथरूम की पाईप और कैमरा तोड़ दिया। इस तोडफोड़ से उन्हें पचास हजार रूपये का नुकसान हो गया था। मारपीट से कपिल और मंजू के शरीर पर ज्यादा चोटें लगी थी। उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। इसलिए उसने मेडिकल नहीं करवाया। रात का समय होने पर उन्होंने रिपोर्ट देरी से दर्ज करवायी थी। उक्त मारपीट जमीन के विवाद को लेकर की गयी थी।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि वह एक दो क्लास तक पढ़ी लिखी हैं। वह उसकी बहन के घर दो तीन दिन से रोज ही आ रही थी। जब झगडा हुआ था उस समय वह

वहीं थी, उस समय उसकी बहन मंजू बीमार थी। दिनांक 25,26,27 जुन 2022 को विजेन्द्र जी कितने बजे तो ड्यूटी पर गये और कितने बजे वापिस आये उसे ध्यान में नहीं है। उसके पुलिस में बयान हुए थे। पुलिस ने क्या लिखा उसे पढ़कर नहीं सुनाया था। उसकी बहन मंजू ने किस तारीख को थाने में एपलीकेशन दी उसे ध्यान नहीं है। उसके जीजा जी ने कैमरे दो ढाई साल पहले लगाये थे। उसने कैमरे लगे हुए देखे है। अभी भी कैमरे लगे हुए है। मंजू के आस पडोस में ओर भी लोगों के घर है। वह आस पड़ोस के व्यक्तियों को नहीं जानती। उसने हरलाल, तेजपाल, संजय, पवन, जयराम को झगडा होने के बाद ही जानने लगी है उससे पहले नहीं जानती थी। यह सही है कि वह नाम से नहीं बता सकती कि किसने किस से उसके साथ और सभी के साथ मारपीट की, लेकिन वह शक्ल देखकर बता सकती है कैमरा, गेट और पाईप किसने तोडे। उसने नुकसान का कोई भी बिल उसके जीजा विजेंद्र के पास नहीं देखा। यह कहना गलत है कि तेजपाल के सिर में चोट आयी हो और वह 10 –15 अस्पताल में भर्ती रहा हो। जब तेजपाल डंडे पर चढा था और भागने में गिर गया हो और उससे चोट आयी हो तो उसे पता नहीं। यह कहना गलत है कि मंजू उसकी बहन और विजेन्द्र उसके जीजा होने के वजह से आज वह बयान देने आयी है, बल्कि वह वहां मौजूद थी इसलिए बयान देने आयी है। मंजू के कमर में चोट आयी थी और कपिल के पैर में चोट आयी थी। यह सही है कि उसकी बहन मंजू और कपिल के किस हथियार से चोट मारी थी उसे नहीं पता।

10.6 प्रकरण में घटना के चक्षुदर्शी गवाह पी०डब्ल्यू 08 कुलदीप ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि दिनांक 27.06.2022 को लगभग आठ बजे की बात है। वह अपने खेत से घर जा रहा था। तब उसने देखा कि मनीष के घर के सामने लड़ाई हो रही थी। पवन, तेजपाल और जयराम ये सभी मनीष, कपिल और मंजू के साथ मारपीट कर रहे थे। उन्होंने तोडफोड भी की थी। पवन के हाथ में सरिया था। जयराम के हाथ में लकड़ी थी। उसने अभियुक्तगण को परिवादी के साथ मारपीट व तोड़फोड़ करते हुए देखा था।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि घटना स्थल पर उसके अलावा चिरंजी आ गये थे। उसके से दो–चार मिनट बाद चिरंजी आ गये थे। वह वहां गया था तब मारपीट हो रही थी। पवन, जयराम और तेजपाल तीनों मनीष, कपिल और मंजू के साथ मारपीट कर रहे थे। पवन, जयराम और तेजपाल के चोट नहीं आई थी। उसके पुलिस में बयान हुए थे किस तारीख को हुए थे आज उसे याद नहीं है। उसने उसके पुलिस बयान पढ़े थे या नहीं आज उसे याद नहीं है। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 04 का हिस्सा ए से बी व हिस्सा सी से डी उसने पुलिस को नहीं लिखवाया। उसके पुलिस ने खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे, उसके बाद उसके बयान लिखे थे। यह सही है कि खाली कागज पर उसके पुलिस ने हस्ताक्षर करा लिये थे इसलिए उसे नहीं पता कि पुलिस ने उसके बयान में क्या क्या लिखा।

10.7 प्रकरण में घटना के अन्य गवाह पी०डब्ल्यू 01 विजेंद्र सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि दिनांक 27.06.2022 को वह और उसका जानकार महेश दोनों शाम को साढे पांच बजे उसके घर से लाल सिंह की ढाणी में साडू के घर बच्चे के जन्मदिन में गये थे। उसी दिन शाम को आठ बजे करीबन जयराम, तेजराम, विनोद, संजय, हरलाल, अणची देवी, मंजू, उषा, मनीषा पवन की पत्नी ये लोग एकराय होकर हाथों में लकड़ी

व सरिया व गंडासी लेकर उसके घर पर आये। उन्होंने आते ही उसकी पत्नी के साथ गाली–गलौच की व उसके घर में पत्थर फेंके। गेट को सरियों से तोड़ा, कैमरों को तोड़ दिया और उसके घर में घुस गये। उसके शौचालय की पाईप लाईन व पानी लाईन तोड़ दी और उसकी पत्नी व उसके बेटे कपिल के साथ मारपीट की। उस समय अरूण, मनीष, नितेश व प्रियंका भी वहां पर मौजूद थें उक्त लोगों ने भी घटना को देखा था। तोड़फोड़ से उनको पचास हजार रूपये का नुकसान हुआ। तोड़फोड़ में उसकी घर की खिड़कियों के शीशे भी तोड़े थे। इस घटना की रिपोर्ट उसकी पत्नी मंजू ने दर्ज करवायी थी जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एफआईआर प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका 01.07.2022 को बनाया था जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मारपीट से उसकी पत्नी व बच्चों के जो चोटें आयी थी उनका मेडिकल भी हुआ था।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि झगड़ा हुआ तब वह घर पर नहीं था इसलिए वह नहीं बता सकता कि झगड़े के समय कितने आदमी मौजूद थे तथा किसके पास कौनसा हथियार था। यह सही है कि लकड़ी, गंडासी व प्रदर्श पी 01 में दर्ज नाम उसको उसकी पत्नी व बच्चों ने बताये उसके आधार पर उसने पुलिस को बताये थे। प्रदर्श पी 01 उसने व उसकी पत्नी ने टाईप करायी थी। यह सही है कि रिपोर्ट में किसके पास कौनसा हथियार था यह नहीं लिखा। लकड़ी, गंडासी व सरिया को पुलिस ने जप्त कर लिया था। हथियार पुलिस किसके पास से लायी उसे नहीं पता। पुलिस ने मनीष को थाने में बंद किया था। संजय, तेजपाल ने उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया था। जब पुलिस उनके घर गयी तब वह, उसकी पत्नी व उसके बच्चे घर पर थे। यह सही है कि पुलिस ने उसको बयान पढ़ने नहीं दिए इसलिए उसमें क्या लिखा था उसे नहीं पता। प्रदर्श डी 01 का ए से बी व सी से डी भाग उसने पुलिस को नहीं बताया। उसने पुलिस को जमीन के विवाद के बारे में बताया था। उसकी जमीन पर वे लोग अतिक्रमण करना चाहते हैं। उनके जो नुकसान हुआ था उसके फोटोग्राफ उसने पुलिस को नहीं दिए थे। पुलिस ने जब नक्शा मौका बनाया तब उसके कितनी जगह हस्ताक्षर करवाए उसे नहीं पता। नक्शा में उसके कितनी जगह मकान दिखाए हैं उसे नहीं पता। नक्शा में खंगाराय की गुवाडी है, साधुराव की दुकान है। उनके घर के पीछे हरलाल के मकान हैं। नक्शे में खंगाराम व साधुराव के हस्ताक्षर नहीं करवाए थे। उसकी पत्नी के पैर व कमर में लगी थी, कौनसे पैर में लगी थी उसे नहीं पता। उसके प्लास्टर नहीं करवाया था। कपिल के कहां पर चोट आयी उसे नहीं पता।

10.8 प्रकरण में घटना के चक्षुदर्शी गवाह पी०डब्ल्यू 07 चिरंजीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि कब की बात है, क्या समय था उसे पता नहीं। उसने दिनांक 27.06.2022 को रात को करीब आठ बजे पवन, जयराम व तेजपाल के द्वारा मंजू देवी व कपिल के साथ मारपीट व गाली–गलौच करते हुए नहीं देखा। **सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी 05 का हिस्सा ए से बी व से डी उसने पुलिस को नहीं लिखवाया।

यह सही है कि वह अभियुक्तगण व परिवादी दोनों को जानता है, लेकिन उस समय वह मौके पर नहीं था, ना ही उसने घटना देखी। यह कहना गलत है कि उसने अभियुक्तगण का परिवादी से बीच–बचाव किया।

10.9 प्रकरण में घटना के चिकित्सीय गवाह पी०डब्ल्यू 09 डॉ. प्रमोद कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में न्यायालय के समक्ष यह कथन किये हैं कि वह दिनांक 28.06.2022 को राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर पदस्थापित था। उस रोज पुलिस प्रतिवेदन पर आहतगण श्रीमति मंजू देवी व कपिल के शरीर पर आयी चोटों का चोट प्रतिवेदन तैयार किया गया था। आहता के शरीर पर निम्न चोटें थीः–
01.शरीर में दर्द की शिकायत।
चोट साधारण प्रकृति व कुंद हथियार से कारित थी। आहता का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी आहत का पहचान चिहन व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। सभी चोटें 12–14 घंटे के भीतर की थी।
आहत कपिल के शरीर पर निम्न चोटें थीः–
01. दर्द की शिकायत दांहिने पैर पर,
02. खरोंचनुमा चोट 0.3 गुणा 0.3 सेमी बांय अंगूठे के पीछे की ओर।
सभी चोटें 12–14 घंटे के भीतर की थी। सभी चोटें साधारण प्रकृति व कुंद हथियार से कारित थी। आहत का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी आहत का पहचान चिहन व सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि आहता मंजू देवी के शरीर में जो दर्द की शिकायत थी वो साधारण तौर पर व्यक्ति के किसी भी कारण से हो सकती है। मारपीट से ही शरीर में दर्द होना यह जरूरी नहीं है। यह सही है कि आहता के शरीर पर किसी प्रकार की सूजन नहीं थी। यह सही है कि आहत कपिल के दांय पैर में जो दर्द की शिकायत थी वह साधारण तौर पर किसी भी व्यक्ति के किसी भी कारण से हो सकती है। यह सही है कि आहत के शरीर पर किसी प्रकार की सूजन नहीं थी। यह सही है कि चोट संख्या दो रगड़क से भी हो सकती है तथा स्वकारित भी हो सकती है।

18. इसके पश्चात गवाह पी.डबल्यू–10 प्रहलाद सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन कर स्वीकार किया है कि वह दिनांक 28.06.2022 को पुलिस थाना नवलगढ़ में एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस रोज प्रार्थिया मंजू देवी ने एक टाईपशुदा रिपोर्ट उपस्थित थाना होकर आईसी थानाधिकारी श्री पवन कुमार एएसआई के समक्ष पेश की। जिस पर मुकदमा नम्बर 304/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 336, 427, 452, 323, 504 आईपीसी में दर्ज कर पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे सुपुर्द की। टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है जिस पर एक्स स्थान पर मंजू देवी की अंगूठा निशानी है तथा ए से बी विजेन्द्र के हस्ताक्षर है सी से डी पवन कुमार एएसआई के हस्ताक्षर है तथा ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है जिस पर एक्स स्थान पर मंजू देवी की अंगूठा निशानी है तथा ए से बी विजेन्द्र के हस्ताक्षर है, सी से डी पवन कुमार एएसआई के हस्ताक्षर है जिनके साथ कार्य करने के कारण वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। दौराने अनुसंधान उसने मौत बिरान के समक्ष घटना स्थल का

नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर एक्स स्थान पर मंजू देवी की अंगूठा निशानी तथा ए से बी, सी से डी गवाहन के हस्ताक्षर है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा पुस्त पर जी से एच हालत मौका अंकित है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान उसने बयान गवाहन मनीष कुमार, विजेन्द्र कुमार, श्रीमति मंजू देवी, कपिल कुमार, नितेश, प्रियंका, चिरंजीलाल, कुलदीप के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध किये। प्रकरण में प्रार्थिया मंजू देवी ने अरूण को साक्षी के रूप में पेश न करने बाबत एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रदर्श पी 04 है जिस पर एक्स स्थान पर मंजू देवी की अंगूठा निशानी है, तथा ए से वी मनीष के हस्ताक्षर है, तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर व ई से एफ कार्यवाही पुलिस अंकित है। प्रकरण में आहतगण मंजू देवी, कपिल सैनी के शरीर पर आई चोटों का चोटप्रतिवेदन तैयार करवाकर शामिल पत्रावली किया जो प्रदर्श कमशः पी 06 व पी 07 है। सम्पूर्ण अनुसंधान से उसने आरोपीगण पवन कुमार, जयराम व तेजपाल के विरूद्ध धारा 323, 341, 504 सपठित 34 का आरोप प्रामणित मानकर पत्रावली एसएचओ साहब को सुपुर्द कर दी। जिन्होंने उक्त धाराओं में आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

दौराने जिरह उक्त गवाह ने यह कथन किये हैं कि एफआईआर नम्बर 303 और 304 का अनुसंधान उसके द्वारा किया गया था। यह सही है कि प्रदर्श पी 01 उसे समक्ष पेश नहीं हुई थी जिस दिन रिपोर्ट दर्ज हुई थी उस दिन वह मौके पर नहीं गया था। संजय ने जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसमें एफआईआर नम्बर 303/2022 दर्ज हुई थी। रिपोर्ट विजेन्द्र पुत्र अर्जुन राम के विरूद्ध भी दर्ज करवायी गयी थी। विजेन्द्र नौकरी करता था। यह सही है कि दिनांक 27.06.2022 को विजेन्द्र कहां पर था इस बाबत उसने स्कूल के स्टाफ के कोई बयान नहीं लिये। कैमरे व गेट तोडने संबंधित उसने किसी प्रकार का कोई बिल नहीं लिया और ना ही लकड़ी व गंडासी उसके द्वारा बरामद की गयी। यह सही है कि मुलजिम तेजपाल के साथ परिवादी के द्वारा पहले मारपीट की गयी थी, लेकिन आपसी झगड़ा जमीनी विवाद को लेकर हुआ था। यह सही है कि विनोद सैनी, रूडाराम सैनी, खंगाराम सैनी व साधूराम सैनी के उसने कोई बयान नहीं लिए। जब वह मौके पर गया था तब विनोद सैनी, रूडाराम सैनी, खंगाराम व साधूराम मौके पर नहीं थे। मंजू और कपिल के चोट थी जो चोटें कैसे आयी उसको नहीं पता।

15. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 341, 504 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट आता है कि परिवादिया मंजू देवी द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में यह कथन किए हैं कि उनके पड़ोसी हरलाल दो–तीन दिन से प्रार्थीया के पति व बच्चों के साथ गाली–गलौच कर रहे हैं जिसके संबंध में प्रार्थना–पत्र पेश कर अवगत करवाया गया। रात्रि आठ बजे हरलाल, विनोद, संजय, तेजपाल, जयराम, पवन, अणची, मंजू, उषा, मनीषा, पूनम व पवन की पत्नी हाथ में लकड़ी व गंडासी लेकर आये और प्रार्थीया के घर का दरवाजा तोड़ दिया तथा प्रार्थीया के घर पर लगे कैमरों को भी तोड़ दिया। उन्होंने प्रार्थीया मंजू, उसके पुत्र कपिल, मनीष, रितेश तथा उसकी बहन प्रियंका के साथ मारपीट की। घर का दरवाजा तोड़ दिया, शीशे तोड़ दिये, शौचालय के पाईप तोड़ दिए। उक्त रिपोर्ट के संबंध में अभियोजन की ओर से परिवादिया मंजू देवी को न्यायालय के समक्ष गवाह पीडब्ल्यू 02 के रूप में परीक्षित किया गया है

जिसने अपनी साक्ष्य में यह कथन किए हैं कि वह पढ़ी–लिखी नहीं है इसलिए वह यह नहीं बता सकती कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में क्या लिखा है। लिखित रिपोर्ट उसके पति ने तैयार करवायी थी तथा उन्होंने क्या लिखवाया उसे पता नहीं है। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 के ए से बी व सी से डी भाग मे सही लिखा या गलत लिखा है उसे नहीं पता। इस प्रकार परिवादिया मंजू देवी द्वारा लिखित रिपोर्ट में वर्णित अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया तथा उसके परिवारजन के साथ मारपीट किए जाने तथा तोड़फोड़ किए जाने के तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है। परिवादिया द्वारा उसके पुलिस बयान में क्या लिखा है इस बात से भी अनभिज्ञता जाहिर की है। परिवादिया द्वारा उसके मगरों व छाती पर चोट आने का कथन किया है, परंतु इसके संबंध में उसके चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 06 का अवलोकन करें तो उसमें केवल मात्र शरीर में दर्द होने का अंकन है। उक्त चोट प्रतिवेदन के संबंध में अभियोजन की ओर से चिकित्सकीय साक्षी डॉ. प्रमोद कुमार को गवाह पीडब्ल्यू 09 के रूप में परीक्षित करवाया है जिसने अपनी साक्ष्य में उक्त दर्द को आमतौर पर व्यक्ति के किसी भी कारण से होने का कथन किया है तथा इसे जरूरी नहीं बताया है कि वो दर्द मारपीट से ही हो।

इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से प्रकरण के आहत कपिल को गवाह पीडब्ल्यू 04 के रूप में परीक्षित करवाया है जिसने अपनी साक्ष्य में उनके गेट, कैमरे, पा्इप के बिल तथा उनके टूटने के वीडियो या फोटो कोर्ट में पेश किए जाने से इंकार किया है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह ने यह कथन किया है कि उसने झगड़े में ध्यान नहीं दिया कि चोट लकड़ी से आयी या अन्य किसी से। उक्त गवाह ने इस बात से भी इंकार किया है कि अधिक लोग होने के कारण वह नहीं बता सकता कि किसने किसको मारी थी। उक्त गवाह ने पुलिस द्वारा उसके बयान लिए जाने से स्पष्ट इंकार किया है उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी 03 का ए से बी व सी से डी भाग पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है। इस प्रकार उक्त गवाह ने भी अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ मारपीट किए जाने तथा तोड़फोड़ किए जाने के तथ्य पुलिस को बताये जाने से इंकार किया है। इसके अतिरिक्त कपिल के शरीर पर आयी चोटों के संबंध में चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 07 का अवलोकन करें तो उसमें केवल मात्र शरीर में दर्द होने का अंकन है। उक्त चोट प्रतिवेदन के संबंध में अभियोजन की ओर से चिकित्सकीय साक्षी डॉ. प्रमोद कुमार को गवाह पीडब्ल्यू 09 के रूप में परीक्षित करवाया है जिसने अपनी साक्ष्य में उक्त दर्द को आमतौर पर व्यक्ति के किसी भी कारण से होने का कथन किया है तथा इसे जरूरी नहीं बताया है कि वो दर्द मारपीट से ही हो।

परिवादिया की ओर से लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में वर्णित अन्य आहतगण मनीष, नितेश व प्रियंका की साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पीडब्ल्यू 03 मनीष ने भी इस बात से इंकार किया है कि उसकी माता मंजू व कपिल के कहां चोट आयी उसे पता नहीं है। पुलिस ने उसके बयान लिए या नहीं उसे याद नहीं है। गेट, कैमरे, पाईप के बिल तथा उनके टूटने के वीडियो या फोटो कोर्ट में पेश नहीं किए। गवाह पीडब्ल्यू 05 नितेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाने उसकी मां व भाई के साथ थाने जाने का कथन किया है। उक्त गवाह ने गाली–गलौच की घटना के बाद कैमरे लगाने का कथन किया है। उक्त गवाह ने इस बात से इंकार किया है कि किसके हाथ में पत्थर, गंडासी व लकड़ी थी तथा इस बात से भी इंकार किया है कि मंजू और कपिल के साथ किसने मारपीट की तथा किस हथियार से चोट आयी। गवाह पीडब्ल्यू 06 प्रियंका ने कैमरे दो ढाई साल पहले लगाये जाने तथा वर्तमान में कैमरे लगे होने का कथन किया है। इस प्रकार

लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में वर्णित आहतगण का सर्वप्रथम कोई चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर नहीं है। उक्त आहतगण न्यायालय के समक्ष एक–दूसरे से विरोधाभासी कथन करते हैं। गवाह पीडब्ल्यू 05 नितेश गाली–गलौच के बाद कैमरे लगाने का कथन करता है वहीं पीडब्ल्यू 06 प्रियंका दो ढाई महीने पहले कैमरे लगे होने का कथन करती है। प्रकरण के आहतगण तथा चक्षुदर्शी गवाह आपस में विरोधाभासी कथन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण के स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू 07 चिरंजीलाल पक्षद्रोही साक्षी घोषित हुआ है। प्रकरण का अन्य चक्षुदर्शी गवाह पीडब्ल्यू 08 कुलदीप भी उसके द्वारा प्रदर्श डी 04 के ए से बी व सी से डी भाग को पुलिस को देने से इंकार करता है। इसके अतिरिक्त जहां समस्त गवाहान की ओर से घटनास्थल पर कैमरे लगे होने तथा उन्हें अभियुक्तगण द्वारा तोड़े जाने का कथन किया है वहां इन कैमरों से संबंधित कोई भी सीसीटीवी फुटेज अभियोजन की ओर से पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। चोट प्रतिवेदन प्रपत्र के अवलोकन से भी आहतगण के शरीर में सिर्फ दर्द होने का अंकन होना प्रकट आता है। परिवादिया द्वारा अभियुक्तगण लकड़ी व गंडासी लेकर आने का कथन किया गया है, परंतु ऐसी कोई लकड़ी व गंडासी पत्रावली के अवलोकन से जप्त होना प्रकट नहीं आता है। समस्त गवाह परिवादी व आहत के परिवारजन है तथा आपस में परस्पर विरोधाभासी कथन किए हैं। प्रकरण में स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही हुए है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान द्वारा अभियुक्तगण की बरवक्त घटना घटनास्थल पर उपस्थित होने तथा आरोपित अपराध कारित किए जाने के संबंध में युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य न्यायालय के समक्ष नहीं दी है।

12. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्तगण पवन, जयराम व तेजपाल के विरुद्ध अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 27.06.2022 को समय रात्रि 08.00 पीएम पर झरडावाली ढाणी तन बिरोल पर परिवादिया मंजू देवी व आहत कपिल को शारीरिक पीड़ा कारित करने के आशय या ज्ञान से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं लोक शांति भंग करने एवं प्रकोपित करने के आशय से गालियां निकालकर साशय अपमानित किया। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण पवन, जयराम व तेजपाल को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

–आदेश–

13. एतदद्वारा **अभियुक्तगण 1. पवन पुत्र श्री हरलाल, उम्र 29 वर्ष, 2. जयराम पुत्र श्री हरलाल, उम्र 34 वर्ष, 3. तेजपाल पुत्र श्री हरलाल, उम्र 35 वर्ष, समस्त निवासीगण झरड़ावाली ढाणी तन बिरोल, पुलिस थाना नवलगढ़, जिला झुंझुनूं, राजस्थान** को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 504/34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण की ओर से उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत प्रतिभू एवं बंधपत्र एतदद्वारा तत्क्षण भार से उन्मोचित किये जाते है।

13.1 अभियुक्तगण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (क) के उपबंध के अनुसार स्वयं का 10,000 रूपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की प्रतिभू 06 माह की अवधि के लिये न्यायालय की संतुष्टि की पेश करें।

14. निर्णय आज दिनांक **22 जुलाई, 2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया और हस्ताक्षरित किया जाकर मुद्रांकित किया गया। निर्णय की प्रति अविलम्ब सी.आई.एस. पर अपलोड की जावे।

(**सतीश फानिन**)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, नवलगढ
जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.24 11:08:09 IST